Established by Ministry of Culture Govt. of Madhya Pradesh
Recognised by UGC under section 2(F) & 12(B)

Sanchi University of Buddhist-Indic Studies
साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

क्र. 907 /साँ.बौ.भा.ज्ञा.अ.वि.वि./भण्डार/2026 साँची, दिनांक 30/04/2026

।। दर आमंत्रण/कोटेशन सूचना।।

विषयः—विश्वविद्यालय के नवीन परिसर में उपलब्ध कक्षों में पर्दे, रॉड एवं अन्य सहायक सामग्री क्रय करने हेतु दर आमंत्रण के संबंध में।

साँची बौद्ध—भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में नवीन परिसर में उपलब्ध कक्षों में कार्य सुविधा की दृष्टि से पर्दे की व्यवस्था की जाना है। उक्त व्यवस्था हेतु निम्नानुसार पर्दे एवं अन्य सहायक सामग्री की आवश्यकता हैः—

स.क्र.	सामग्री का नाम एवं विवरण	संख्या	रिमार्क
01	**पर्दे** • मटेरियल – रेशमी पर्दे का कपड़ा • जी.एस.एम. – 140 से 200 जी.एस.एम. • साईज – 7X4 फीट • दर पर्दे की पूर्ण सिलाई सहित (तैयार पर्दा)	116 नग	तैयार पर्दा/कपड़े का नमूना संलग्न
	पर्दे • मटेरियल – रेशमी पर्दे का कपड़ा • जी.एस.एम. – 140 से 200 जी.एस.एम. • साईज – 6X4 फीट • दर पर्दे की पूर्ण सिलाई सहित (तैयार पर्दा)	584 नग	
02	**पर्दे की स्टील रोड** • मटेरियल – एस.एस. पाईप, एस.एस. 304 ग्रेड • साईज – 14 फिट • थिकनेस – 1.5 एम.एम. • वजन – लगभग 1.2 से 1.8 के.जी.	230 नग	पर्दे के फिक्चर हेतु सामग्री का नमूना संलग्न
	सपोर्ट पत्ती • मटेरियल – स्टील • साईज – स्टैण्डर्ड	780 नग	
	लट्टू • मटेरियल – स्टील • साईज – स्टैण्डर्ड	780 नग	
	वॉल टू वॉल आउटर होल • मटेरियल – स्टील • साईज – स्टैण्डर्ड	400 नग	

उपर्युक्तानुसार सामग्री की दर **दिनांक 15.05.2026 (सायं 05.30 बजे)** तक ''कुलसचिव, साँची बौद्ध—भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय'' के नाम से विश्वविद्यालय परिसर सलामतपुर तिराहा, जिला रायसेन में सीलबंद लिफाफे में व्यक्तिगत/स्पीड पोस्ट/अन्य उचित माध्यम से आमंत्रित की जाती है।

निरंतर.....................2

सीलबंद लिफाफे पर विश्वविद्यालय की कोटेशन सूचना का संदर्भ अनिवार्य रूप से अंकित करें। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त दरों को स्वीकार्य नहीं किया जावेगा।

शर्तेः–

1. संबंधित संस्था को दर/कोटेशन के साथ स्व–घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें विश्वविद्यालय में उपलब्ध पर्दा/सामग्री के नमूना/स्पेसिफिकेशन/गुणवत्ता अनुसार ही पर्दा/सामग्री की दर प्रस्तुत की गई है, संबंधी उल्लेख हो।
2. सामग्री से संबंधित जानकारी हेतु विश्वविद्यालय की संग्रह शाखा/संपदा शाखा से कार्यालयीन दिवस में संपर्क किया जा सकता है।
3. सामग्री का नूमना देखने हेतु विश्वविद्यालय में कार्यालयीन दिवस में विजिट किया जा सकता है।
4. प्रदायकर्ता संस्था को सामग्री को विश्वविद्यालय परिसर, सलामतपुर चौराहा, जिला रायसेन में उपलब्ध कराना होगा, जिसका किसी भी प्रकार का परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
5. सामग्री को प्रदाय आदेश प्राप्ति के 30 कार्यदिवस के भीतर उपलब्ध कराना होगा।
6. निर्धारित अवधि में आदेशित सामग्री का पूर्ण प्रदाय नही किया जाता है तथा अवधि में विस्तार के लिये अनुरोध नही किया जाता है तो क्रय आदेश स्वयमेव निरस्त हो जायेगा तथा प्रदायकर्ता का नाम विश्वविद्यालय काली सूची में एक निश्चित अवधि के लिये दर्ज किया जावेगा।
7. सामग्री की दर समस्त कर सहित होना अनिवार्य है।
8. सामग्री निर्धारित स्पेसिफिकेशन एवं गुणवत्ता अनुसार होना चाहिये।
9. सामग्री कार्यालय में अच्छी हालत में पहुचाया जाना होगा।
10. सामग्री प्रदाय हेतु अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
11. संस्था/फर्म का जी.एस.टी. नंबर होना अनिवार्य है।
12. संस्था/फर्म/प्रोपराईटर का पेन कार्ड होना अनिवार्य है।
13. संस्था/फर्म का पेन कार्ड को आधार नंबर से लिंक होना अनिवार्य है।
14. सामग्री की संपूर्ण मात्रा प्राप्त हो जाने पर, सामग्री का निरीक्षण उपरांत संतोषजनक प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही देयक का भुगतान किया जावेगा।
15. सामग्री के देयक में से नियमानुसार GST कर एवं शासन के नियमानुसार स्त्रोत आयकर कटौत्री की जावेगी।
16. उपर्युक्त समस्त शर्तो में संशय अथवा विवाद होने पर कुलसचिव का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

कुलसचिव
साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय